मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 92 दिनांक 27.03.2018

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर की बाउन्ड्रीवॉल से लगी एवं निगम स्वामित्व के रविन्द्रनाट्य गृह में पीछे की खुली भूमि एवं निर्मित स्ट्रक्चर म.प्र. उच्च न्यायालय को अंतरित किये जाने एवं शेष भूमि के बदले भूमि प्राप्त किये जाने के संबंध मे आयुक्त का पत्र क्रमांक 1027 दिनांक 07.10.2017 पत्र क्रमांक 3272 दिनांक 20.12.2017 एवं पत्र क्रमांक 4662 दिनांक 20.03.2018 पर प्रभारी जनकार्य विभाग की राय क्रमांक 59 दिनांक 22.03.2018 पर विचार किया गया। माननीय उच्च न्यायालय में आयोजित बैठक दिनांक 22.02.2018 में लिये गए निर्णय एवं निगम द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. शासन को प्रेषित पत्र क्रमांक 5124 दिनांक 18.12.2017 एवं पत्र क्रमांक 6663 दिनांक 16.03.2018 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में माननीय रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर द्वारा न्यायालयीन कार्य हेतु निगम स्वामित्व के रविन्द्र नाट्य गृह परिसर के पीछे एवं उच्च न्यायालय भवन के मध्य स्थित खुली भूमि एवं निर्मित स्ट्रक्चर कुल क्षेत्रफल 373 वर्गमीटर (414.94 वर्गफीट) भूमि अंतरित करने विभागीय प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति दी जावें।

3. रविन्द्र नाट्य गृह की अन्य 232.30 वर्ग मीटर (2500 वर्गफीट) भूमि माननीय उच्च न्यायालय को दिये जाने तथा उक्त भूमि के बदले उच्च न्यायालय के अधिपत्य की रिक्त भूमि (रविन्द्र नाट्य गृह से लगी हुई) निगम आधिपत्य में प्राप्त करने की विभागीय प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति दी जावें।

4. उपरोक्त प्रकरण में नियमानुसार शासन स्वीकृति प्राप्त की जावें।

इस राय के साथ प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावें।

इस बाबद समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर / पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्ट आडिट

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 93 दिनांक 27.03.2018

अमृत एवं उच्च दर पर लिये गये बैंक ऋण की वापसी के उद्देश्य से राशि रुपये 170 करोड के दीर्घ कालीन बाण्ड जारी करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1760 दिनांक 20.03.2018 पर प्रभारी वित्त एवं लेखा विभाग की राय दिनांक 21.03.2018 पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थित एवं अनुशंसा के प्रकाश में अमृत मिशन के अन्तर्गत होने वाले कार्यो हेतु एवं उच्च दर पर बैंक से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु बांड के माध्यम से 170 करोड की राषि प्राप्त की जाना है। बांड जारी करने हेतु अधिकृत करना, तत्संबंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना, बांड राशि एवं उसके पुनर्भुगतान की संरचना करना, कार्य संपादन हेतु विभिन्न एजेन्सी एवं इन्टरमीडीएरी की नियुक्ति करना एवं बांड लिस्टिंग संबंधी कार्यवाही करने तथा 170 करोड के म्यूनिसिपल बांड जारी करने की सर्वानुमति से स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रदान की जाती है। राशि का उपयोग 160 करोड अमृत मिशन में निगम अंशदान एवं 10 करोड रूपये उच्च दर पर लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु किया जाएगा।

Sr.No.	Project Component	(INR Crores)
1	Water supply	629.20
2	Sewerage and septage management	268.06
3	Storm water draingage	10.00
4	Urban transport/Mobility	40.00
5	Others and Green Spacer	25.00
TOTAL ESTIMATED PRAJECT COST(INR Crores)		**972.26**
Sr.No.	Project Finance	(INR Crores)
1	Govt.of India Share	324.05
2	State Govt.Share	486.13
3	Contribution From IMC/Borrowings through Municipal Bonds	162.08
TOTAL (INR Crores)		**972.26**

3. सर्वानुमति से इस हेतु सुरक्षा निधि देने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। वर्तमान एवं भविष्य में निगम की स्वंय के स्त्रोत से होने वाली आय पर बांड से प्राप्त राशि एवं उस पर लगने वाले ब्याज के बराबर अधिभार रहेगा।

4. सर्वानुमति से इस कार्य के संपादन हेतु आयुक्त, नगर पालिक निगम इन्दौर को इन्दौर नगर पालिक निगम की तरफ से हस्ताक्षर हेतु अधिकृत किया जाता है। बांड जारी करने की प्रक्रिया हेतु आवश्यक कार्यवाही जिसमें की विभिन्न ऐजेन्सियों का निर्धारण एवं मनोनयन एवं अनुबंध करना, बांड जारी करने से पूर्व एवं पश्चात् की कार्यवाही करना, बांड जारी कर उसका आंवटन करना, डीमटेरीयलाईज करना इत्यादि कार्य सम्मिलित है।

अविरत...........2

आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर को बांड के संबंधित सभी कार्यो के लिए अधिकृत किया जाता है। इसमें सम्मिलित है पर सीमित नही अंश की संख्या, अंकित मूल्य, अंश का मूल्य, अंश का आकार, समय–सीमा, ब्याज की दर, आंवटन, डीमटेरीयलाईजेशन, क्रेडिट रेटिंग एवं अन्य नियम एवं शर्ते जो बांड के आंवटन एवं सर्विसिंग के लिए जरूरी है इसमें अभी निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित है पर सीमित नही :–

1. दो क्रेडिट रेटिंग संस्थाओं की नियुक्ति
2. ट्रस्टी की नियुक्ति
3. रजिस्ट्रार की नियुक्ति
4. डिपोसिटरीस का निर्धारण करना
5. स्टाक एक्सचेंज का निर्धारण करना
6. मर्चेन्ट बैंकर को नियुक्त करना
7. एस्क्रो अकाउन्ट को खोलना
8. लीगल काउसिंल को नियुक्त करना
9. एस्क्रो अकाउन्ट के आडिट के लिए सी.ए. फर्म को नियुक्त करना
10. प्रोजेक्ट इंजीनियर का निर्धारण करना
11. अन्य जरूरी कार्य, ऊपर दिए गए बिन्दुओं से संबंधित

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावें।

इस बाबद समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक
दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्ट आडिट

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 94 दिनांक 27.03.2018

ग्रेटर कैलाश मार्ग पर लगभग 15,000 स्के.फीट निगम भूमि पर जन सुविधा हेतु मैकेनाईज्ड मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण के संबंध मे आयुक्त का पत्र क्रमांक 1278 दिनांक 20.03.2018 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर प्रकरण में ग्रेटर कैलाश मार्ग पर संस्कार गर्ल्स हॉस्टल से लगी हुई लगभग 15000 स्के.फीट निगम स्वामित्व की भूमि पर जनसूविधा हेतु मल्टी लेवल मैकेनाईज्ड पजल पार्किंग कुल 6 फ्लोर का निर्माण इन्दौर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट लिमि. द्वारा कराये जाने तथा मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण के पश्चात ऑपरेशन व मेन्टेनेंस व्यय की पर्याप्त प्रतिपूर्ति के लिये प्रथम 03 वर्ष हेतु निम्नानुसार पार्किंग दरे निर्धारित करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार दी जावें। निर्माण की अवधि 6 माह ऑपरेशन व मेन्टेनेंस की अवधि 10 वर्ष रहेगी।

अनु क्र.	वाहन का प्रकार	प्रतिदिन पार्किंग शुल्क (सुबह 08 से रात 10 बजे तक)	प्रति रात्री पार्किंग शुल्क (रात 10 बजे से सुबह 08 बजे तक)		मासिक पास
		शुल्क प्रतिघण्टा	शुल्क प्रति घण्टा	शुल्क पूर्ण रात्री	
1	दो पहिया वाहन	5/–	2/–	25/–	500/–
2	चार पहिया वाहन	10/–	5/–	50/–	2000/–

3. उपरोक्त सारणी अनुसार 03 वर्ष पश्चात एवं 6 वर्ष तक उक्त दरों में 40 प्रतिशत बढोतरी होगी एवं 6 वर्ष पश्चात 10 वर्ष तक सारणी में उल्लेखित दरें 80 प्रतिशत बढोतरी के साथ लागू की जा सकेगी।

4. निमार्णकर्ता को उपरोक्त उल्लेखित पार्किंग फीस प्राप्त किये जाने के अधिकार के साथ–साथ निर्मित पार्किंग भवन पर विज्ञापन के अधिकार दिये जाकर सामने के भाग में लगभग 5 मीटर चौडाई व 10 मीटर उंचाई के दो विज्ञापन बोर्ड लगाये जाने की अनुमति दी जा सकेगी। निर्माण एजेन्सी द्वारा आवश्यकता अनुसार फ्रन्ट लाईटेड बोर्ड अथवा बेक लाईटेड बोर्ड अथवा एल.ई.डी प्रकार के विज्ञापन बोर्ड लगाकर आय प्राप्त की जा सकेगी। उपरोक्त अनुसार पार्किंग फीस व विज्ञापन के अधिकार से निर्माणकर्ता को प्रतिवर्ष लगभग रुपये 80 लाख की राशि प्राप्त होगी। प्राप्त आय से ऑपरेशन व मेन्टेनेन्स में होने वाले व्यय की पूर्ति हो सकेगी। पार्किंग स्ट्रक्चर के अन्य भाग में निगम द्वारा स्वयं या अन्य ऐजेन्सी को विज्ञापन के अधिकार दिये जाकर विज्ञापन बोर्ड लगाये जा सकेंगे, जिससे नगर निगम को अतिरिक्त आय हो सकेगी।

अविरत..........

5. स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र में यातायात के प्रबंधन तथा पार्किंग सुविधा शहर को उपलब्ध हो सके इस हेतु प्रावधान किया गया है। इसी स्वीकृति अनुसार उपरोक्त निर्माण में होने वाले व्यय स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत किया जावेगा एवं पार्किंग फीस व निर्धारित विज्ञापन के अधिकार निर्माणकर्ता ऐजेन्सी को दिये जावेंगे।

इस राय के प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावें।

इस बाबद समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 95 दिनांक 27.03.2018

मध्यप्रदेश मत्स्य पालन की नीति एवं त्रि–स्तरीय पंचायतों को मत्स्योंद्योग के अधिकार कार्यक्रम वर्ष 2008 के अन्तर्गत मत्स्य पालन के पट्टे देने के संबंध मे आयुक्त के 4242 दिनांक 15.03.2018 पर प्रभारी जलकार्य एवं सीवरेज विभाग की राय पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मध्यप्रदेश मत्स्य पालन की नीति एवं निर्देश के आलोक में निकाय क्षेत्रान्तर्गत लिम्बोदी तालाब, लसुडिया मोरी तालाब, कनाडिया तालाब, श्रीराम तलावली तालाब, हुक्माखेडी तालाब, अहिरखेडी तालाब, बुढानिया तालाब, टिगरिया बादशाह तालाब, भंवरसला तालाब, खजराना तालाब, पिपल्याहाना तालाब, छोटा सिरपुर तालाब, बिलावली छोटा एवं बडा तालाब, तलावली चांदा तालाब को 10 वर्ष तक की अवधि के लिये मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर पृथक–पृथक तालाबवार निविदा के माध्यम से देने की स्वीकृति दी जावें।

इस राय के साथ प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावें।

इस बाबद समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक
दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 96 दिनांक 27.03.2018

शहर में विभिन्न स्थलों पर सार्वजनिक सुविधाघर (URINALS) का निर्माण पी.पी.पी. के अन्तर्गत प्राप्त दरों की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1332/18 दिनांक 26.03.2018 पर विचार किया गया। मेयर–इन–काउंसिल संकल्प क्रमांक 21 दिनांक 23.05.2017 एवं नगर पालिक निगम परिषद प्रस्ताव क्रमांक 15 दिनांक 14.11.2017 को अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु तृतीयबार दिनांक 04.11.2017 को प्राप्त 03 निविदाओं में तकनीकी प्रस्तावों के परीक्षण उपरान्त उचित पाये जाने के क्रम में मे. यूनीकॉर्प सोल्युशन प्रा.लि. द्वारा प्रस्तुत उच्चतम दर राशि रूपये 17,000/– प्रतिवर्ष प्रति युरिनल प्रीमियम राशि निगम में जमा कराकर कार्य कराने की स्वीकृति एवं कंड़िका अनुसार प्राप्त उच्चतम दर पर निविदा में भाग लेने वाले दो अन्य ठेकेदार द्वारा उच्चतम प्राप्त दर पर कार्य करने की सहमति प्रस्तुत करने पर कुल 100 सुविधाघरों में से 50 सुविधा घर उच्चतम निविदाकर्ता को एवं दो अन्य निविदाकताओं को 25–25 प्रतिशत सुविधाघर का निर्माण पी.पी.पी. पर कार्य करवाने की कार्योत्तर स्वीकृति/पुष्टि निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद में रखा जावें।

इस बाबत् समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट

   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 94

मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 97 दिनांक 27.03.2018

पदम श्री डॉ. भक्ति जी यादव के नाम पर मार्ग स्कीम 114 की नवनिर्मित मार्ग का नामकरण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1310 दिनांक 02–01–2018 पर प्रभारी यातायात एवं परिवहन प्रबंधन विभाग समिति की राय दिनांक 26.03.2018 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में स्कीम 114 की नवनिर्मित मार्ग का नामकरण पद्म श्री डॉ. भक्ति जी यादव के नाम से करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जावे।

इस राय के साथ प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

इस बाबद समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक
दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 98 दिनांक 27.03.2018

कनाड़िया वार्ड 76 स्थित चौक का नाम परिवर्तित कर ''शहीद भगत सिंह चौक'' रखने के संबंध में आयुक्त का पत्र कमांक 1311 दिनांक 02.01.2018 पर प्रभारी यातायात एवं परिवहन प्रबंधन विभाग की राय दिनांक 26.03.2018 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में भगत सिंह चौक समिति कनाड़िया, वार्ड 76, इन्दौर का पत्र दिनांक 24.10.2017 की अनुशंसा अनुसार कनाड़िया रोड़ वार्ड़ 76 में स्थित चौक का नामकरण ''शहीद भगत सिंह चौक'' के नाम करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार दी जावे।

इस राय के साथ प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

इस बाबत् समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक
दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट

   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 99 दिनांक 27.03.2018

26 अक्टूबर 2017 को इन्दौर में ''राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह'' आयोजन के संबंध मे आयुक्त के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 855/एम.सी./17 दिनांक 16–10–17 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह वर्ष 2017–18 के मुख्य सम्मान समारोह दिनांक 26–27 अक्टूबर 2017 हेतु राशि रूपये 10.00 लाख (अक्षरी–राशि रूपये दस लाख) का अनुदान देने की कार्योत्तर स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद क्रमांक 2503001 ''लता मंगेशकर पुरूस्कार में निगम अंशदान'' मद में से राशि रूपये 6.00 लाख तथा बजट मद क्रमांक 2208005 ''मेयर–इन–काउंसिल के अधिकार में आकस्मिक व्यय के लिये राशि'' में से राशि रूपये 4.00 लाख में से होगा। राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जावे।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवष्यक कार्यवाही करें।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 97

मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 100 दिनांक 27.03.2018

नगर निगम पेंशनर्स एसोसिएेशन, इन्दौर के 75 वर्ष की आयु के सदस्यों का वर्ष 2018 में हो रहे सम्मान समारोह हेतु संस्था को आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 953 दिनांक 02–11–2017 पर प्रभारी विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति की राय क्रमांक 693 दिनांक 09.11.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में नगर निगम पेंशनर्स 75 वर्ष आयु के सदस्यों को सम्मानित किये जाने हेतु सम्मान समारोह हेतु संस्था अध्यक्ष, नगर निगम पेंशनर्स एसोसिएेशन, इन्दौर को राशि रूपये 21,000/– (अक्षरी–इक्कीस हजार रुपये) की आर्थिक अनुदान देने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार दी जावे। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

इस राय के साथ प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

इस बाबद समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 101 दिनांक 27.03.2018

प्रणाम इन्दौर कार्यक्रम में व्यवस्थाओं के बिल भुगतान के संबंध मे आयुक्त के 1631 दिनांक 26.03.2018 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर प्रकरण में दिनांक 17.05.2017 को स्थगित एवं दिनांक 05.06.2017 को दशहरा मैदान पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय केन्द्रीय मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में कराई गई व्यवस्थाओं के देयकों की राशि रुपये 1,56,07,061/– के भुगतान की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 102 दिनांक 27.03.2018

गांधीहॉल भवन के संरक्षण, जीर्णोद्वार तथा नवीनीकरण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 36 दिनांक 16.03.2018 पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थित एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 7,42,00,000/– पर चतुर्थबार दिनांक 08.11.2017 को प्राप्त निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मे. ए.ए.आय. सी. बिल्डिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दर 10.70 प्रतिशत कम की राशि रूपये 79,39,400/– अनुसार कुल आकार राशि रूपये 6,62,60,600/–एवं जी.एस.टी. की राशि रूपये 79,51,272/– सहित कुल आकार राशि रूपये 7,42,11,872/–के कार्य की वित्तीय स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला संबंधित बजट मद में से होगा।

इस बाबद समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 100

मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 103 दिनांक 27.03.2018

स्मार्टसिटी मिशन के अन्तर्गत बी.आर.टी.एस. पर 9 प्रमुख स्थानों (सघन यातायात क्षेत्र) पर बी.ओ.टी. के अन्तर्गत विज्ञापन के अधिकार दिये जाकर लिफ्ट सहित फुट ओव्हर ब्रिज निर्माण के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1407 दिनांक 08.02.2018 पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थित एवं अनुशंसा के प्रकाश में यातायात प्रबंधन, सड़क एवं जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये स्मार्टसिटी मिशन के अन्तर्गत ए.बी.रोड़ स्थित बी.आर.टी.एस. (11.45 कि.मी.) राजीव गांधी चौराहे से निरंजनपुर चौराहे तक (संक्षेपिका में उल्लेखित) 08 प्रमुख स्थानों तथा 01 एम.वाय.एच. एवं दवा बाजार के बीच इस प्रकार कुल 09 स्थानों पर बी.ओ.टी. पद्धति पर लिफ्ट सहित 09 फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किये जाने की स्वीकृति तथा इस हेतु जारी की गई निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति/पुष्टि की जाती है। विज्ञापन के अधिकार म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत बने म.प्र. आउटडोर मीडिया नियम 2017 के अनुसार (कन्शेशन अवधि 25 वर्ष तक) इन्दौर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर को सौंपे जाने की भी स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। विज्ञापन से प्राप्त होने वाली राशि स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा नगर निगम में जमा कराई जावें।

इस बाबद समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त/कार्यपालिक निदेशक, इन्दौर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट लि. इन्दौर को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक
दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्ट आडिट

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 101

मेयर–इन–काउंसिल संकल्प क्रमांक 104 दिनांक 27.03.2018

Providing Laying, Jointing, Testing and Commissioning of HDPE pipe Line for improvement to the water supply system at janta Quarter tank undaer zone no- 6 [as per Schedulu] अनुमान लागत राशि रूपये 3,39,81,000/– (द्वितीय आमंत्रण) स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 11916 दिनांक 07.10.17 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमानित लागत राशि रुपये 3,39,81,000/– पर प्राप्त निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता मेसर्स उत्सव इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रायवेट लिमिटेड, गुजरात द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 8.55 प्रतिशत अधिक की निविदादर, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सर्वसम्मति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा ।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक
दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।

   की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर